रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 75] , नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 7, 1972/चैत्र 18, 1894

No. 75] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 7, 1972/CHAITRA 18, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th April 1972

SUBJECT.—*Export policy for ferrous scrap during the licensing period April* 1972—*March*, 1973.

No. 5/ETC(PN)/72.—It has been decided that the same policy for export of ferrous scrap will continue for the period *April* 1972—*March*, 1973, *without any change*, as for the previous period April 1971—March, 1972, which was announced through Public Notice No. 1-ETC(PN)/71 dated the 27th March, 1971.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात नियंत्रक आदेश

नई दिल्ली 7 अप्रैल, 1972

विषय .—लाइसेंस अवधि अप्रैल, 1972–मार्च, 1973 के लिए लौह कतरनों के संबंध में निर्यात नीति ।

सं० 5/ ईंडीसी (पी एन)/72.—यह निश्चय किया गया है कि पूर्व अवधि अप्रैल, 71–मार्च, 72 के लिए सार्वजनिक सूचना सं० 1–आई० टी० सी० (पी० एन०)/71, दिनांक 27 मार्च; 1971 के माध्यम से जैसी निर्यात नीति की घोषणा की गई थी, वही अप्रैल, 72–मार्च 73 अवधि के लिए लौह कतरनों के लिए भी जारी रहेगी ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972